राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–805/2014/चित्तौड़

मैसर्स करणी ट्रेडिंग कम्पनी,
ग्राम–खेरी, चित्तोड़गढ़। ...अपीलार्थी

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, उदयपुर।
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, चित्तोड़गढ़। ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक
अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से

श्री आर. के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.02.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 87/वेट/रेस्टोरेशन/12–13/चित्तौड़गढ़ में पारित आदेश दिनांक 10.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 30 के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 के लिए पारित आदेश दिनांक 31.03.2008 के जरिये कायम की गयी मांग राशि रूपये 8,75,194/– को विवादित किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विद्वान अतिरिक्त प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर का निर्णय दिनांक 10.03.2014 रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय योग्य है। यह कि विद्वान अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर ने विद्वान वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, चित्तौड़गढ़ का कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 30 वैट अधिनियम की पुष्टि करने की विधिक भूल की है। यह कि अपीलांट का कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 29 में दिनांक 21.09.2007 को पारित कर दिया था। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलांट की घोषित बिक्री के आधार पर ही कर निर्धारण आदेश पारित किया था। तत्पश्चात विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने अन्तर्गत धारा 30 में कर निर्धारण आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 30 के क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय योग्य है। यह कि अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर एवं विद्वान कर निर्धारण अधिकारी का आदेश माननीय राजस्थान उच्च

लगातार.....2

न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्त राजस्थान फूट वियर कम्पनी बनाम सहायक आयुक्त 20 टैक्स अपडेट 114 एवं 38 टैक्स वर्ल्ड पेज 11 मैसर्स शिव टिम्बर कोटा बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय योग्य हैं।

3. हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट होता है कि व्यवसाई का मूल कर निर्धारण आदेश एवं उपायुक्त प्रशासन भीलवाड़ा की अनुमति दिनांक 29.03.2008 की पालना में धारा 30 के तहत एकपक्षीय आदेश पारित किये गये हैं। अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर ने अपने आदेश दिनांक 10.03.2014 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नियमानुसार कार्यवाही करें। इस प्रकरण में अभी तक कोई प्रतिप्रेषण आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत आदेश पारित करें एवं इस प्रकरण का दिनांक 31.03.2018 के पूर्व निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार प्रकरण पुनः सुनवाई एवं निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

4. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य